

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/G0567/सीबीएसई एनओसी/2024-25

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

TO

From

विद्यालय का नाम :- S R S PUBLIC SCHOOL (P64649)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विद्यालय का वर्तमान पता :- ADHEYA ROAD KUMHER DEEG

संस्था का नाम :- shreeratansingh shikshan evm prashikshan
sansthan

आवेदन क्रमांक :-45989

एनओसी कोड:- RJBPR33855

Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2024-25 के लिए सी.बी.एस.सी.ई/सी.आई.एस.सी.ई/सी.आई.ई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय S R S PUBLIC SCHOOL (P64649) ADHEYA ROAD KUMHER DEEG को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अधीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीकृत संस्था shreeratansingh shikshan evm prashikshan sansthan के अन्तर्गत संयोजित गैर सरकारी विद्यालय S R S PUBLIC SCHOOL (P64649) को शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

विद्यालय का नाम -	S R S PUBLIC SCHOOL (P64649)
सर्वे संख्या / प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता -	ADHEYA ROAD KUMHER DEEG
गांव/शहर -	NAGAR PALIKA Kumher
तहसील/कस्बा -	KUMHER
मान्यता कोड -	RJBPR33855
विद्यालय का पीएसपी कोड	P64649

नोट :NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।

Generated from NIC-PSP(<http://rajpsp.nic.in>) Web-Portal

RajKajPage 1 of 2
8266638

21/06/2024

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रमाण-पत्र

रा. 2024-25 हेतु CBSE/CISCE/CAIE गर्ड डिप्लोमी से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के लिए राज्य सरकार के पत्रांक : प.14(01)विधा-1/2009/पार्ट-8 दिनांक : 20.03.2022 की पाठना में गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के समुदाय, कक्षा स्तर, संकाय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के अधीन अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- उक्त अनापति प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2024-25 के लिए ही मान्य होगा।
- विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम-2011 की पाठना की जायेगी।
- विद्यालय/संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निर्धारित जायेगी।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीयों के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अधारतः पाठना की जायेगी।
- विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अधारतः पाठना की जायेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना सुनिश्चित करना होगा।
- विद्यालय द्वारा (डे स्कूलर/बोर्डिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का संचालन मान्यता प्राप्त स्तर तक किया जाना होगा।
- विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अन्तर्गत से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बन्धित मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अन्तर्गत को सूचित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से संबन्धित स्वतः ही सगाव हो जायेगी।
- विद्यालय में अधिस्थान धन स्थापित किया जाना एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना होगा।
- विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाइल टावर स्थापित नहीं करेगी।
- राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पाठना की जानी होगी।
- राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वार्षिक रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध करने होंगे।
- विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
- भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पाठना की जानी होगी।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
- विद्यालय द्वारा मान्यता/कमोन्नति प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- शिबिरा कौन्सिलर में जारी दिशा-निर्देशों की पाठना सुनिश्चित की जावे।

नोट:- अनापति प्रमाण पत्र के संबंध में जारी शासन के पत्र दिनांक _____ के क्रम में यदि सद्यः स्वीकृति दी गई है तो उन शर्तों की पाठना करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त शर्तों की पाठना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

जिला	BHARATPUR	ब्लॉक	KUMHER
विद्यालय का नाम	S R S PUBLIC SCHOOL (P64649)		
संबंधता (CBSE/CISCE/CAIE)	CBSE		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का स्तर	2024-25	माध्यम	English
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Upper Primary (1-8)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Upper Primary (1-8)

नोट:- उक्त अनापति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/संकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबंधता की एन.ओ.सी. प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.
The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled



निदेशक
आई.एस.
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

नोट: मा. निदेशक/डी.ओ. (मा. शिक्षा) / निदेशक/कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए छाता की सुसंगतता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। छाता में किसी भी प्रकार की विरंगति के लिए स्वतः/डी.ओ. (मा. शिक्षा) / निदेशक/कार्यालय जिम्मेदार होंगे।